तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/896 ज्ञानाराम बनाम लिछमण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने जरिये मुख्त्यारनामा आम व खास महिपाल पुत्र ज्ञानाराम की ओर से श्री राजाराम चौधरी ने मय वकालतनामा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत किया। शा.फा. हो। वकील अपीलार्थी श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट हेतु नियत है। उपरोक्त उनवानी अपील उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 2.11.2021 बाबत अन्तर्गत धारा 136 तहत पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट आपस में सगे भाई होने, रिश्तेदारों एवं समाज के व्यक्तियों द्वारा आपस में समझाईश किये जाने से एवं लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है राजीनामें के अनुसार अब अपीलार्थी अपनी अपील में किसी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अपील को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को नोट प्रेस में खारिज करवाने हेतु अभिभाष्यक को पूर्व में ही प्रार्थना पत्र दे दिया था लेकिन पत्रावली संभागीय आयुक्त सीकर को स्थानान्तरण होने के कारण एवं पुनः सीकर से माननीय न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण होकर आने में समय लग गया, अब अपीलार्थी बीमार होने के कारण अपने सगे पुत्र महिपाल पुत्र ज्ञानाराम को जरिये मुख्तयारआम नियुक्त कर उक्त कार्य को करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी की अपील को विड्रो किये जाने के आदेश पारित फरमाये की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा ज्ञानाराम पुत्र कालूराम जाट जरिये मुख्त्यारनामा आम व खास महिपाल पुत्र ज्ञानाराम जाट के प्रार्थना पत्र को पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	महिपाल सिंह पहचानकर्ता (ज्ञानाराम) 6/5/25